CUTS International 25 years 1983 2008

CUTS CART

Partnership for Transparency Fund

RTI in Action

Obtaining Information for Reforming the Processes

No. 2. 2009

RTI Evening Classes:

Reforming the Processes at Gram Panchayat Level

Project Overview

The project 'Reforming the Processes in the Rural Development Department through Policy and Civic Engagement, based on RTI Act 2005' (RePoRDD) is conceptualised and implemented by CUTS CART in partnership with the Partnership for Transparency Fund (PTF), an international NGO based in Washington DC.

The project was launched in May 2009. The project is under implementation in two administrative districts of Rajasthan state viz., Jaipur and Tonk with a rural community based approach. The objective of the project is to contribute towards reduced corruption in processes of National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), *Swarna Jayanti Swarojgar Yojana* (SGSY) and *Indira Aavas Yojana* (IAY) implemented by the *Panchayati Raj* and Rural Development Department in the State of Rajasthan, India.

RTI Evening Classes

During the quarter, five RTI evening classes have been conducted in two Model Gram Panchayats, two at

Mundia and three at Harsulia. The outcomes of these classes are as follows:

- Burning issues of the villages were identifies and related facts came out.
- Villagers came to know about the potential of RTI Act and its use.
- Villagers were motivated enough to seek the information related to development work in their village by *Gram Panchayat* and corruption prevalent in the villages.

Four Years of RTI: Rajasthan Scenario

State Level Seminar

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART) in collaboration with Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), New Delhi, organised

a State Level Seminar on *'Four Years of RTI in India: Challenges in Implementation in Rajasthan'* in Jaipur, on October 23, 2009.

This seminar was on the occasion of the fourth anniversary of the Right to Information (RTI) Act 2005 in India for taking a stock of the issues hindering the effective implementation of the RTI Act in Rajasthan; and assessing the current status of its enforcement in government departments of the State.

The meeting commenced with the introductory remarks by George Cheriyan, Director, CUTS. He shared the objectives of the seminar and stated that the day, i.e. October 12, 2009, on which the RTI Act 2005 came into force, can be called as a second independence day in India. But challenges like low level of awareness among people, lack of sincere efforts by the government for capacity building of Public Information Officers (PIOs) and strengthening measures for State Information Commission (SIC) by appointing more commissioners are affecting the effective implementation of the Act in the State.

Venkatesh Nayak, Coordinator, Access to Information Programme, CHRI, New Delhi in his opening remarks briefed about role of CHRI and stated seven objectives mentioned in the preamble of the RTI Act 2005. He expressed his deep concern over hiding of information by the government rather than proactively disclosing it. He further said that due to this Act, effective

IN THIS ISSUE

State Level Seminar 2
Jai Joined his Jobmates Again 2
RTI Evening Classes 3
NGO's Under Ambit of RTI 3
CART in Media 4

communication has been established between the government and public which is beneficial to a democratic nation.

Satya Prakash Baswala, Deputy Secretary, Department of Administrative Reforms, Government of Rajasthan opined that so far the progress made in implementation of the RTI Act has proved satisfactory but there is a feeling of alienation among the people; they do not participate in the governance process and do not make use of the Act.

In the keynote address, AK Ojha, Member Secretary, Centre for Good Governance, Harish Chandra Mathur-Rajasthan State Institute of Public Administration (HCM-RIPA) said that attitude of the service providers needs to be changed and they should realise their accountability and responsibility not only towards their superiors but also towards the masses as well.

Madhu Sudan Sharma of CUTS CART made a presentation on the challenges in the way of effective implementation of RTI Act 2005 in Rajasthan. After the presentation, the floor discussions followed.

Venkatesh Nayak appreciated the participants for their active participation and responded to their queries one by one. He said that computerisation of all the government records is a wise and long-term process, but accessing this information is also equally important. For this cataloging and proper labelling of government records needs to be done but the problem is that there is no budgetary provision for it. He said that it is unfair to narrate that PIOs do not have access to records within the department. He agreed that displaying information on notice boards in government departments is not a practice.

More than 75 participants attended the seminar including representatives of different civil society organisations (CSOs) and RTI activists of Jaipur and Tonk districts and PIOs of various government departments like Police, Food and Civil Supplies, Department of Water Resources, Muslim *Wakf* Board, Government Press, SCIC, DoAR and others.

Conclusion

- Intense awareness on RTI application filing process among the masses as well as PIOs.
- For far-flung areas, Maharashtra model of appointing regional commissioners is recommended.
- Department of Post has to be designated as APIO in Rajasthan as well and staff should assist the common mass in filing applications and appeals.
- RTI applications should be first responded to before sending them to the First Appellate Authority (FAA).
- A senior official should be a nodal officer of RTI at the district level for its smooth implementation.
- Increased motivation among pro RTI officials/PIOs.
- Improved infrastructure and staffing at the SIC offices. Hearing through video conferencing should be started.
- Government should make amendments to the RTI Act 2005 to improve it further and make it more effective.
- Appointment of more and more PIOs at all levels to be done in all the government departments.
- Monitoring mechanism to oversee the effective implementation of RTI Act, 2005 has to be established and CSOs and RTI Activists should be promoted for this task.
- Steps to provide incentives to the best performing PIOs/FAAs and RTI activists.

Jai Joined his Jobmates Again

35-year old Jai Kumar, working under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) lost his job card. He was disappointed and met the *Gram Sachiv* of the *Gram Panchayat* for re-issuance of a duplicate job card. Instead of responding to the request made by Kumar, he refused re-issuance of the duplicate job card. Disappointed with the *Gram Sachiv's* response, Kumar discussed the matter with his neighbours, who suggested paying bribe to the *Gram Sachiv* in order to obtain a duplicate job card. His neighbourers had already done so in the past. They had paid bribe to the same *Gram Sachiv* to get issues settled.

Kumar was in dilemma as to what should be done. He pursued the matter rigorously with the Gram Sachiv but no response. He contacted a CGCC member and explained the matter to him. The CGCC member suggested Kumar to file a RTI application at the *Gram Panchayat* inquiring the reason for non-issuance of the duplicate job card. He did the same as suggested on July 07, 2009. Surprisingly, the *Gram Sachiv* did respond this time and suggested Kumar to come after seven days with a stamp paper of Rs 10 for an affidavit and assured him issuance of the duplicate job card the same day. Kumar, as per instructions received from *Gram Sachiv,* visited Gram Panchayat after seven days and was issued a duplicate job card on July 16, 2009. Kumar resumed his job the very next day. He shared his experience with the project officials and told them that he was unaware about the potential of RTI Act, which directs the government officials to take appropriate actions.

Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or happiness depends on the integrity of people in a position of authority. – *Transparency International*

आर.टी.आई. संध्याकालीन सभाएं – ग्राम पंचायत हरसूलिया, फागी, जयपुर

परिचय व पृष्ठभूमि

'कट्स कार्ट' अपनी परियोजना 'राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा नीति निर्धारकों व जनसमुदाय की भागीदारी से ग्रामीण विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार परियोजना' जो कि 'पार्टनरशिप फॉर ट्रांसपेरेन्सी फण्ड' के सहयोग से जयपुर व टोंक जिलों में चलाई जा रही है, के तहत चयनित दो ग्राम पंचायतों क्रमशः हरसूलिया, फागी, जयपुर व मूण्डिया, निवाई, टोंक ग्राम पंचायतों में उपरोक्त संध्याकालीन आर.टी.आई. सभाओं का आयोजन कर रहा है।

इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संधारित सूचनाओं की प्राप्ति, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर करना, सरकार द्वारा जन हितार्थ के लिये किये जा रहे निर्णयों के बारे में जानना, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जन कोष की बर्बादी का कारण पूछना व इन लोगों द्वारा अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाना, आमजन के साथ प्रशासन द्वारा देय सुविधा, लाभ व न्याय से वंचित रखने का कारण जानना तथा विभिन्न विभागों द्वारा देय सेवाओं की गुणवत्ता व सेवाये नहीं देने से सम्बन्धित समस्याओं व शिकायतों के निवारणार्थ एक हथियार स्वरूप काम लेने हेतु आमजन को इस 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के बारे में जागरूक करना व उनको इसके उपभोग में समर्थ बनाना।

विवरण

दिनांक 18 सितम्बर, 2009 को ग्राम पंचायत हरसूलिया में अपने स्थानीय सी.जी.सी.सी. सदस्यों क्रमशः आत्माराम व डिम्पल के सहयोग से परियोजनान्तर्गत चयनित मॉडल ग्राम पंचायत हरसूलिया की बैरवों की ढ़ाणी में एक सांध्यकालीन सभा का आयोजन किया गया। सभा लगभग 44 ग्रामवासी प्रतिभागियों के साथ प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में संक्षिप्त परिचय व सभा के उद्देश्यों के बारे में परियोजना अधिकारी श्री मधुसूदन शर्मा ने प्रतिभागियों को बताया व ग्रामवासियों से उनकी समस्याओं व नरेगा, इन्दिरा आवास योजना व एस.जी.एस.वाई. व अन्य योजनाओं के बारे में उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से बताने को कहा। सहायक परियोजना अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने लोगों को व्याप्त मुद्दों के बारे में खुलकर राय व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित किया।

लोगों ने निम्नलिखित मुद्दों को उठायाः

- नरेगा में मजदूरी का देरी से भुगतान। टास्क मापन पद्धति से बेहद नाखुशी जिसके कारण मजदूरी हमेशा कटकर आती है।

- नरेगा कार्यक्षेत्रों पर पानी के अलावा अन्य सुविधाओं का नितान्त अभाव।
- हैण्डपंप खराब पड़े हुए हैं।
- ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच पर्याप्त उत्तर नहीं देते व दुर्व्यवहार करते हैं।
- पोस्ट ऑफिस में नरेगा कर्मियों को 2 बजे बाद पैसों का भुगतान नहीं दिया जाता है व अन्य किसी दिन आने की कहकर टाल दिया जाता है।
- नये जॉब कार्ड बनाने में बहुत परेशानी आती है, कई बार कहने पर भी नहीं बनाते हैं।
- इन्दिरा आवास योजना के तहत बने अधिकतर आवास अपूर्ण हैं, क्योंकि सहायता राशि का पंचायत के लोगों द्वारा दुरूपयोग होता है।
- प्रतिभागियों में से कुछ सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तथा पंचायत स्तर पर बने सामाजिक अंकेक्षण फोरम के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना है।
- पंचायत द्वारा कराये जा रहे पक्के काम में विभाग में ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्ता का अभाव है।

उपरोक्त तमाम मुद्दों के आने पर प्रतिभागियों को समस्यावार 'सूचना का अधिकार' के उपयोग पर विस्तृत रूप से बताया गया एवं कहा गया कि इस अधिकार में इतनी शक्ति है कि उपरोक्त मुद्दों के कारणों व व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सूचना प्राप्त कर उनको खुलासा किया जा सकता है जिससे उस पर भविष्य में अंकुश लगेगा।

अन्ततः कई मुद्दों को चुना गया जिन पर 'सूचना का अधिकार' के तहत आवेदन कर उनके कारणों व उनसे सम्बन्धित सूचना ग्राम पंचायत से मांगी जाएगी और इस कार्य में स्थानीय सी.जी.सी.सी. सदस्य उनका सहयोग करेंगे।

एन.जी.ओ. भी सूचना के अधिकार के दायरे में

राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि केन्द्र या राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन लेने वाले स्वयंसेवी संगठन भी सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। चित्तौड़गढ़ की प्रयास संस्था से जुड़े इस मामले में चाही गई सूचना करीब 36 हजार पृष्ठों की है, जिस पर सुनवाई के दौरान आयोग में सवाल उठाया कि सूचना देने में देरी के कारण क्या यह निःशुल्क दिलाई जाए? इस पर आयोग ने सूचना दिलाने से इंकार तो नहीं किया, लेकिन यह भी कहा कि सौ पृष्ठ की सूचना निःशुल्क दी जाए। साथ ही यह शर्त जोड़ दी कि अपीलार्थी विकास अग्रवाल अधिक दस्तावेज लेना चाहे तो फाईल का निरीक्षण कर चिन्हित कर लें व प्रयास संस्था इन अतिरिक्त पृष्ठों का शुल्क ले सकती है।

अनुदान न सही, धन तो मिलता है

आयोग में इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रयास संस्था की ओर से कहा गया कि उसे केन्द्र या राज्य सरकार से अनुदान या अन्य सहायता नहीं मिलती, केवल कुछ परिस्थितियों के माध्यम से सरकार से पैसा मिलता है। इसलिए संस्था सूचना का अधिकार कानून के दायरे में नहीं आती। आयोग ने इस पर कहा कि संस्था को कुछ परियोजनाओं के लिए सरकार से धन मिलने की बात सही है, लेकिन इसी धन से संस्था के कार्यालय चलते हैं। इसलिए ऐसी संस्था सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आती है।

सूचना क्या मांगी नौकरी पर बन आई

पुलिस से सूचना क्या मांगी, एक महिला कांस्टेबल की नौकरी पर बन आई। उसका कसूर महज इतना था कि सुरक्षा का हवाला देकर अर्जी की अपील सुनने वाले पुलिस अधिकारी के कार्यालय में हाजिरी नहीं दी। दरअसल महिला कांस्टेबल ने सूचना की दो अर्जी लगा अपने ऊपर हुए अत्याचार के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई व अन्य सम्बन्धित जानकारियां मांगी थी।

पुलिस अधीक्षक (जयपुर शहर – उत्तर) कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने पिछले साल अक्टूबर में कुछ सूचना देने के बारे में सूचित करते हुए निर्धारित राशि मांग ली। इस पर प्रार्थिया ने यह कहते हुए पुलिस अधीक्षक (जयपुर शहर– उत्तर) कार्यालय में अपील की कि जो सूचना दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। इस प्रथम अपील पर सुनवाई के दौरान पिछले साल नवम्बर में प्रार्थिया को व्यक्तिशः हाजिर होने के लिए तीन बार बुलाया गया। प्रार्थिया ने अपीलीय अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों से खतरा बताते हुए सुनवाई गणमान्य व्यक्तियों या मीडिया की मौजूदगी में अथवा अन्यत्र करवाने की गुहार की, जो अस्वीकार हो गई। अपीलीय अधिकारी ने रिजर्व पुलिस लाईन के अधिकारी को प्रार्थी महिला कांस्टेबल को उनके कार्यालय में सुनवाई के लिए हाजिरी देने को पाबंद करने को कहा। इसके बाद अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना को पर्याप्त मानते हुए अपील खारिज कर दी।

नोटिस मिला एस पी मुख्यालय से

महिला कांस्टेबल ने सूचना पुलिस अधीक्षक (जयपुर शहर – उत्तर) कार्यालय से मांगी, लेकिन जनवरी, 09 में उसे अनुशासत्मक कार्रवाई के तहत 16 सीसी का नोटिस मिला पुलिस अधीक्षक मुख्यालय (जयपुर शहर) से। नोटिस में चार आरोप गिनाए गए। इसमें बताया गया कि अपील की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक (जयपुर शहर – उत्तर) के तीन बार बुलाने पर भी हाजिरी नही दी। अपील की सुनवाई गणमान्य व्यक्तियों या मीडिया की मौजूदगी में करने की गुहार को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार माना। एक आरोप यह गिनाया गया कि अनुशासित विभाग में कार्यरत होने के बावजूद अपील की सुनवाई के मामले में उच्च अधिकारियों की ओर से दिए गए आदेश की पालना नही की।

नहीं छूटा पसीना

सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर महिला कांस्टेबल ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने पुलिस अधीक्षक (जयपुर शहर – उत्तर) कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया तो प्रार्थिया को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने फिर व्यक्तिशः तलब कर लिया।

''इस कानून के तहत अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी हाजिर होना नहीं चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सूचना मांगने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई कानून की मंशा के अनुरूप नहीं होने से उसे राज्य आयोग में शिकायत करनी चाहिए या फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर क जा सकती है''।

– वजाहत हबीबुल्लाह
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग

CART IN MEDIA

CUTS CART

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)
D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.513 3259, 228 2821, Fax: 91.141.228 2039, 228 2485
Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org
In Partnership With: **Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC**